भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3113
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में ई-बसों के लिए गुणवत्तापूर्ण चालक सुनिश्चित करना

†3113. **श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देशभर में राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) में सेवाओं में लीजिंग व्यवस्था के तहत नियुक्त इलेक्ट्रिक बस चालकों को कम पारिश्रमिक से संबंधित मुद्दों की जानकारी है**,** यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**
(ख) क्या सरकार का इलेक्ट्रिक बसों हेतु न्यूनतम योग्यता**,** अनिवार्य प्रशिक्षण और सुरक्षित ड्राइविंग मानकों को सुनिश्चित करने हेतु एसटीयू और रियायत प्राप्तकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है**,** यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**
(ग) क्या सरकार का निजी कंपनियों के माध्यम से नियुक्त इलेक्ट्रिक बस चालकों के लिए न्यूनतम वेतनमान**,** आवधिक वेतन को युक्ति संगत बनाने या एकसमान श्रम मानकों की गारंटी देने हेतु निविदा ढांचों में अनिवार्य खंड शामिल करने का विचार है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**
(घ) क्या सरकार ने एसटीयू को अपने स्वयं के चालक तैनात करने की अनुमति देने या लीजिंग मॉडल के तहत निजी ऑपरेटरों द्वारा नियुक्त चालकों के लिए योग्यता और पारिश्रमिक को मानकीकृत करने के लिए कोई उपाय किए हैं**,** यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और
(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि चालकों की कार्य परिस्थितियों से यात्रियों की सुरक्षा**,** सेवा की गुणवत्ता**,** यात्रियों की संख्या या सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण में तेजी लाने के राष्ट्रीय उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े**?**

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने सूचित किया है कि बस चालकों की नियुक्ति, तैनाती, पारिश्रमिक, कार्य दशाओं, प्रशिक्षण मानकों और पात्रता आवश्यकताओं से संबंधित मामले, चाहे वे सीधे राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) द्वारा नियोजित हों या पट्टा समझौते के तहत निजी रियायतकर्ताओं के माध्यम से नियोजित हों, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और राज्य परिवहन उपक्रमों के प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं। मंत्रालय ऐसे संविदात्मक समझौतों के पारिश्रमिक ढांचे से संबंधित डेटा को केंद्रीय स्तर पर नहीं रखता है, न ही वह इलेक्ट्रिक बस संचालन में चालकों की

नियुक्ति के लिए वेतन मानदंड, श्रम मानक या निविदा शर्तें निर्धारित या अधिदेशित करता है। निविदा फ्रेमवर्कों का निरूपण, श्रम संबंधी खंडों का समावेश, एसटीयू द्वारा नियुक्त चालकों के उपयोग के निर्णय और सेवा गुणवत्ता एवं यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय राज्यों/ राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा अपनी प्रक्रियाओं और नियामक शक्तियों के अनुसार किए जाते हैं।

मौजूदा वैधानिक फ्रेमवर्क के भीतर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार सामान्य सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देता है।

******